


भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA,  
विकास आयुक्त का कार्यालय / OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,  
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.  
Tel: 022-28294799/28294700 Fax: 022-28291754,  
E-mail : [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), Web-site : [www.seepz.org](http://www.seepz.org)

PUBLIC NOTICE No. 16 /2015

**Subject:** Payment for procurement from the Domestic Tariff Area, where supply made by DTA unit is towards the discharge of export obligation against the Advance Authorization.

In continuation of the Public Notice No. 11/2015, dated 17.08.2015, all the Specified Officers are hereby advised to initiate suitable action against the SEZ units which do not comply with directions to pay the amount from their Foreign Currency Account to the supplier against the Advance Authorisation to the SEZ unit under FT (D & R), Act, 1992.

This Public Notice has been issued in pursuance of letter No. D.6/9/2015-SEZ, dated 15.10.2015 of Department of Commerce.

  
(V. P. Shukla),  
Dy. Development Commissioner,  
SEEPZ-SEZ.

No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/Policy/369/2014-15/18494

December 7, 2015

To,

1. All SEZ units under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ SEZ
2. All Specified Officers under the jurisdiction of Development Commissioner, SEEPZ SEZ
3. The Regional Director, Export Promotion Council, SEEPZ SEZ
4. The Dy. Development Commissioner, SEEPZ SEZ
5. The Asstt. Development Commissioner (New SEZ), SEEPZ SEZ
6. The D. C. Office section

भारत सरकार

विकास आयुक्त का कार्यालय

सीपज़- विशेष आर्थिक क्षेत्र

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

अंधेरी (पूर्व), मुंबई- 400096

टेलिफोन नं. 28294799 / 28294700 फैक्स. 022-28291754

ई मेल: [dcseepz-mah@nic.in](mailto:dcseepz-mah@nic.in), वेब-साईट: [www.seepz.org](http://www.seepz.org)

सार्वजनिक सूचना संख्या 16 /2015

**विषय:- डोमेस्टिक टैरिफ एरिया से प्रापण के लिए भुगतान जहां डीटिए यूनिट द्वारा अग्रिम प्राधिकार के अनुसार निर्यात बाध्यता के उन्मोचन के लिए आपूर्ति की गई हो।**

दिनांक 17.8.2015 की सार्वजनिक सूचना संख्या 11/2015, के क्रम में सभी विनिर्दिष्ट अधिकारियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि वे ऐसे सभी सेज़ यूनिटों के विरुद्ध उचित कार्रवाई प्रारंभ करे जिन्होंने एफटी (डी एंड आर) अधिनियम 1992 के अधीन आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम प्राधिकार के अनुसार आपूर्ति के लिए अपने विदेशी मुद्रा खाते से राशि का भुगतान करने के संबंध में दिए गए निदेशों का अनुपालन नहीं किया है।

यह सार्वजनिक सूचना वाणिज्य विभाग के दिनांक 15.10.2015 के पत्र संख्या डी.6/9/2015-सेज़ के अनुसरण में जारी की गई है।

*विजय प्रकाश शुक्ल*

(विजय प्रकाश शुक्ल)

उप विकास आयुक्त

सीपज़-सेज़

सं.सीपज़-सेज़/न्यूसेज़/पॉलिसी/369/2014-15/18494

दिनांक. 7 दिसंबर, 2015

1. विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी सेज़ यूनिट
2. विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़ के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले सभी विनिर्दिष्ट अधिकारी
3. क्षेत्रीय निदेशक, निर्यात संवर्धन परिषद, सीपज़-सेज़
4. उप विकास आयुक्त, सीपज़-सेज़
5. सहायक विकास आयुक्त (न्यूसेज़), सीपज़-सेज़
6. वि.आ. कार्यालय अनुभाग